P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-II * Issue-XI*July-2015

महाराष्ट्र के मेलघाटीय आदिवासी महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ–एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन

रोहिणी देशमुख
शोधकर्ती,
समाजशास्त्र विभाग,
सं.गा.बा.अ. विद्यापीठ,
अमरावती

सारांश

मेलघाट के आदिवासियों में विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं का समावेश है। यहा आदिवासियो में विशेषतः महिलाओं में अज्ञानता अधिक होने से उन का सामाजिक और सांस्कृतिक जोवन अनेक रुढो, परंपरा और अंधश्रद्धा से पोडित है। इसका परिणाम आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य पर हो रहा है। इन आदिवासिंयों में पितृसत्ताक कुटुम्ब पद्धति होने से महिलाओं का स्थान निम्न है। इस क्षेत्र में फसलयुक्त जमोन कम है। अधिकतम आदिवासियो के पास कोरडवाहु जमोन होकर इसमे निकलने वाली फसल से इन आदिवासी परिवारो की प्राथमिक जरूरते पुरी नही हो पाती और तो और मेलघाट में औद्योगोकरण के अभाव से रोजगार भो नही है। इसके फलस्वरूप आदिवासी महिलाये अपने परिवार सहित मोल–मजूरी के लिए शहरो में स्थनान्तरित होते है। मात्र कुछ गैर आदिवासी इन अज्ञान और गरोब महिलाओं का फायदा उठाकर उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण करते है। इसकी पुष्टो हमे आदिवासियो का अध्ययन करने वाले अनेक अध्ययनकताओं के अध्ययन से पता चलता है।

मुख्य शब्द : आदिवासी, महिला, अज्ञान, अंधश्रद्धा, पितृसत्ताक, मजूरी, स्थानान्तरण और शोषण।

प्रस्तावना

एक ओर तो विज्ञान और वैज्ञानिकता ने मानवी समाज को विकास के उच्च शिखर पर पहुँचाया ह फिर भो दूसरी तरफ भारत के अति दुर्गम भाग मे रहने वाला आदिवासी समुदाय विशेष तोर पर महिलाएँ विकास से कोषो दूर है।

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य इन क्षेत्रो मे प्रगति होने के बावजूद जंगल घाटियो में रहने वाली आदिवासी जाति की महिलाएँ समस्याओं से ग्रसित है।

भारत के आदिवासी प्रदेश

आदिवासी जाति मुख्यतः भारत के पाच विभागो म पाई जाती है। ईशान्य भारत– अंबोर, गोरा, खासी, कुकी, मिश्नी, नागा, हिमालय का तलहरीय प्रदेश– लेपहा, शभा, मध्यभारत प्रदेश– भ्मिज, गोंड, हो, ओरेऑन, मुंडा, संथाल, दक्षिण भारत प्रदेश– चेचू, आरुला, कोटा, कुरुंबा, टोटा, पश्चिम भारत प्रदेश– वारली, कोरकू, गोंड ये जमाती रहती है।[१]

महाराष्ट्र राज्य के बहसंख्य आदिवासी ठाणे, नाशिक, धुलिया, जलगाव, पुणे, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गडचिरोली, रायगड और अमरावती आदि चौदह जिलों में केंद्रित है। वह कुल ४५ आदिवासी जमात में भिल्ल, महादेव कोली, गोंड, वारली, कोकणा, कातकरी, ठाकर, गावीत, कोलाम, कोरकु, आंध, मल्हार, धोंडिया, पारधी आदि जमाती का समावेश है।[२] २००१ के जनगणनानुसार आदिवासियां कि जनसंख्या भारत की कुल जनसख्या के ८२ प्रतिशत थी, तो महाराष्ट्र को कुल जनसंख्या का प्रमाण ८.८५ प्रतिशत था।[३]

बहुत से समाजशास्त्रज्ञ और मानवशास्त्रज्ञ के मतानुसार आदिवासी महिलाओ को आदिवासी समाज में निम्न बर्ताव नही किया जाता।[४] किन्तु दूसरी ओर से देखा जाए तो आदिवासी महिलाओ की समस्याएँ भी बहुत है। डो. डी. कोसांबी (१९५६) ए. एन. बाशप (१९५४) आदिवासियो ने भारतीय समाज ओर संस्कृति की बनावट का अध्ययन किया है।

प्रस्तुत अनुसंधान अमरावती जिले के अंतर्गत आने वाले धारणी और चिखलदरा इन दो क्षेत्रो के आदिवासी महिलाओं की समस्या पर आधारित है। इसमें गैर संभावना नमुना चयन पद्धति की उपपद्धति सहेतूक पद्धति का उपयोग कर कुल ५०५ आदिवासी महिलाओं का चयन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीय पद्धति एवं तंत्र का उपयोग किया गया है।

आदिवासी महिलाओं की सामाजिक समस्या रुढो, परंपरा और अंधश्रद्धा

आदिवासी संस्कृती अन्य संस्कृति से भिन्न दिखाई देती है। आदिवासी जीवन पद्धति में कला, श्रद्धा, मूल्य, रुढो, परंपरा और वाड्.मय इनका समावेश है। उनकी विवाह पद्धति, नृत्य प्रकार, मूल्य, सामाजिक रोति–रिवाज, देवो–देवता ये उनके संस्कृत की विशेषताए है।[५] कुछ अध्ययनकर्ता जैसे हैमेनडॉर्फ (१९४३), हट्टन (१९२१), हंटर (१९७३) अनुसार आदिवासी समाज में वधुमूल्य पद्धति, साथीदार चुनने का स्वतन्त्रता उसी प्रकार विधवा विवाह को मान्यता होने के कारण आदिवासी महिलाओं का स्तर उच्च प्रति का है।[६] शौनक कुलकर्णी कहते है कि लड़को के विवाह में लडके की ओर से लडकी क पिता को वधुमूल्य देने की प्रथा होने के कारण लडकी धन की पेटी लेकर आती है।[७] वैसे ही भाऊसाहेब राठोड का कहना है कि पारधी समाज में लडकी को वधुमल्य मिलने के कारण लड़की के जन्म का स्वागत किया जाता है। विवाह होने के बाद यदि वर ने वधुमूल्य की पुर्तता नही की, तो उस लड़की पर पिता का हक होने से उसका उपयोग एक व्यवहारिक खरीदी–बिक्री की चोज समझकर किया जाता है।[८] वाहरु सोनवने का आदिवासी समाज में वधुमूल्य के संदभ में एक अलग विचार धारा दिखाई देती है। उनके मतानुसार आदिवासी स्त्री को दहेज (वधुमूल्य) दे कर खरीद लिया जाता है अर्थात आदिवासी महिला का किसी चोज तथा गुलाम के जैसा इस्तमाल किया जाता है।[९]

मेलघाट के आदिवासी समाज में भी वधुमूल्य पद्धति प्रचलित है। एक स्त्रीवादी दृष्टिकोन से वधुमूल्य का विचार किया जाए तो विवाह के पहले आदिवासी महिला अपन पिता के साथ खेत में काम करने जाती और विवाह के पश्चात वही महिला अपने पति के साथ हाथ बटाती है। अपने काम के दो हाथ लडके के घर गए इसी लिए लड़को के पिता वधुमूल्य लेते है। तो वही दो हाथ लडके की ओर आए इस लिए लडके वाले वधुमूल्य देते है। इस तरह आदिवासी समाज में वधुमूल्य यह एक आदिवासी समाज में खरीद–बिक्री की वस्तु हो जाने से वधुमूल्य पद्धति एक सामाजिक समस्या बन गई है। ऐसा दिखाई देता है।

मेलघाट की सभो आदिवासी महिलाए अपने शरीर पर गोंदती है। गोंदन (Tatoo) यह श्रृंगार ही नही तो उसे अनिवार्य भो माना जाता है। निसर्ग के झाड, पत्तिया, कुल चिन्हो को अंग पर गोंदा जाता है। मेलघाट की कोरकु आदिवासी महिला अपने माथे पर (M) आकार का चिन्ह गोंद कर उसके नोचे एक टिंब भो गांदते है।[१०] शैलजा देवगावकर कहते है कि, आदिवासी समाज में महिलाओं की शक्ति आजमान के कारण यह प्रथा शुरु हुई होगी।[११] अंग पर गोदना यह अत्यंत तकलोफ दायक है। इस के चलते आदिवासी महिलाओं को बहुत तकलोफ होती है। पर फिर भो संस्कृति के चलते, अनेक रुढो, परंपरा ओर अंधविश्वास के कारण उन्हे गोंदने की तकलोफ समझ–नासमझ उठानी पडती है। जो महिलाए गोंदन नही करती उनको अपवित्र माना जाता है।[१२] अपनी पहचान समझकर या गोत्र चिन्ह गोंदने से हम कुलदेवता संकट से बचायेंगे यह इन आदिवासी महिलाओं की धारणाये है। शेषराव मडावी कहते है, इन आदिवासियो को समझ है कि अगर अंग पर महिलाओं ने गोंदन नही किया तो पितर अपन स नाराज होकर संकट में साथ नही देंगे।[१३] ऐसी अनेक धारणाओं के चलते आदिवासी महिला गोंदन से होने वाली तकलीफ सह लेती है।

आदिवासी जीवन में धर्म और जादू को अधिक महत्व दिया जाता है। भत–प्रेत ओर रोगराई से अगर कोई पीड़ित हो तो उसे किसी ने जादू से झपटा है। ऐसा माना जाता है।[१४] एल. पी. विद्यार्थी और रॉय कहते है कि, हो, कोरवा और ओराव इस जमात के लोगो का मानना है की, दिव्य शक्ति के कारण रोग, बाझपणा अकाल मृत्यु भो होते है। ऐसा भी माना जाता है कि, कुछ ऐसी भो अलौकिक शक्तिया है कि, जिससे मनुष्य संकट में बोमारी की अवस्था में रहता है।[१५] आदिवासी पुरुष हो या स्त्री उनका भगत पर विश्वास होकर, आदिवासी जमात में लोग हो, या जानवर उन्ह उपचार के लिए अस्पताल नहीं ले जाते बल्कि तांत्रिक अथवा पुजारी के पास ले जाते है।[१६] उनका स्वास्थ्य ग्रामोण लोगो की आदते, रुढो, परंपरा, अंधश्रद्धा इन पर भी निभर होता है। उस में भो आदिवासी महिला वर्ग बडे पैमाने पर इन आदतो में सहभागी होती है।[१७]

संशोधन क्षेत्र के अंतर्गत मेलघाट की आदिवासी समाज में भगत इस धार्मिक गुरु की सहायता से बीमारी दूर की जाती है। भगत द्वारा की गई किसी भो कृतिपर आदिवासी लोगो का अटूट विश्वास है। मेलघाट के आदिवासियो की स्थिति पर अध्ययन करने वाले कुछ संशोधक जैसे स्टिफन फुच (१९८६), दिनकर उंबरकर, आर. यु. बुरंगे (२०१०) और के. बी. नायक इनके मतानुसार मेलघाट के ज्यादा से ज्यादा आदिवासी अपने परिवार के सदस्यो का उपचार अस्पतालो में न करते हुए अपने पारंपरिक तरोके से भमका तथा पडियाल के तंत्र–मंत्र जडो–बूटी से बोमारी का इलाज करते है।[१८] मेलघाट के आदिवासियो में अंधविश्वास बहुत अधिक है। आदिवासियो को बीमारी, किसी दैवी शक्ति या फिर जादू–टोना का प्रकोप ऐसा मानने के कारण इस दैवी शक्ति और जादू–टोने पर सिर्फ भमका ओर पडोयाल (धार्मिक पजा करने वाला गुरु) नियंत्रण रखता है तथा अपने परिवार की बोमारी भी दूर करता है। ऐसा दृढ विश्वास होने के कारण आदिवासी जमात में बहुतांश आदिवासी इस भमका अथवा पडोयाल से ही अघोरी उपचार करते है। बहुत बार ऐसा उपचार लेते समय बोमार व्यक्ति की प्रकृति बहुत ही चिंताजनक हो जाती है। भमका ओर पडोयाल के उपचार से यदि बीमार व्यक्ति अच्छा नही हो रहा हो तो वे आखरी प्रयास समझकर गंभोर स्थिति में उसे उपचार के लिए अस्पताल ल जाते है। किंतु उपचार के लिए अस्पताल लाने में देरी होने की वजह से कभो–कभो डॉक्टर भो उनकी जान बचाने में असफल हो जाते है। इसी लिए मलघाट में अनेक बोमारोयो से मृत्यु के प्रमाण अधिक है।

पितृसत्ताक कुटुम्ब पद्धति

भारत की बहुतांश आदिवासी कुटुम्ब पद्धति पितृसत्ताक है। खासी, गारो और नायर यह जमाती में मातृसत्ताक कुटुम्ब पद्धति दिखाई पडती है। बहुत से मनवशास्त्रज्ञ और अभ्यासक जैसे ए. के. सिंग, सी. राजलक्ष्मी, ग्रिकसन, व्हि. एम. राव, बी. एन. मुजूमदार, आर. एस. मन और के. मन इनके मतानुसार आदिवासी समाज में वधुमूल्य, विधवा विवाह, साथोदार चुनने की स्वतन्त्रता महिलाओं को दो गयी है। खासी, गारो और नायर इन जमाती में मातृसत्ताक कुटुंब पद्धत्ति होने से महिलाओं का दर्जा उच्च पकृति का बताया गया है। आदि उदाहरण आदिवासी महिलाओं का दर्जा उच्च बताते है। फिर भो बहुत से उदाहरण है जिन से महिलाओं का दर्जा निम्न प्रकृति का दिखाई पडता है।

डब्लु. एच. रिव्हर्स (१९७३) और निशा के. दोक्षित (२००७), विलास संगवे (१९७२), सत्यनारायन आर, और बेहेरा डी. के. (१९८६) इन के मतानुसार दक्षिण भारत के निलगिरी पर्वत पर तोडा आदिवासी समाज का वास्तव्य है। इस जमात में पितृसत्ताक, पितृवंशोय पद्धति पायी जाती है।[१६] याने की पुरुष के अतिरिक्त स्त्रियों का दर्जा कनिष्ठ प्रति का है। महिलाओं ने मासिक धर्म यह नैसर्गिक स्वरुप के कारण उसे अपवित्र माना जाता है। तोडा जमात खेत में अनाज कटाई के समय मासिक धर्म चलते स्त्रियो का हात लगा तो अनाज का नुकसान होंगा यह समज प्रचलित है। सुभाषचंद्र वर्मा (२००८) कहते है कि, थारु जमात के पुरुष शहरी भाग मे रोजगार के लिए स्वयं आते है। स्त्रियों को घर पर ही रखा जाता है। यह बात थारु महिलाओं का दर्जा पुरुषो से दुर्गम है। यह ज्ञात करती है। तोडा और कोटा जमात की महिला मंदिर की सिढ़ीयाँ भो नही चढ सकती। संथाल आदिवासी महिला सामुदायिक पूजा में उपस्थित नही रह सकती। जी. पी. मरडॉक और कुछ मानवशास्त्रज्ञ तोडा स्त्री का दर्जा निम्न बताते है।

मेलघाट में भो पितृसत्ताक और पितृकेंद्रित कुटुम्ब पद्धत्ति पायी जाती है और यहा भो सामाजिक दृष्टि से महिलाओं का दर्जा पुरुषो की तुलना में निम्न प्रति का है। आदिवासी समाज में यदि विधवा विवाह को अनुमती है। फिर भो महिलाओं का विवाह विधुर, गुंड और वयस्क पुरुषो के साथ लगा दिया जाता है। मेलघाट की कुल उत्तरदाती आदिवासी महिला के अनुसार ८२.९७ विधवा महिला का विवाह विधुर पुरुष के साथ लगा दिया जाता है। इसका मतलब पहला विवाह होने से उस स्त्री का मूल्य कम हो जाता है। इस तरह की विवाह में ज्यादा तर वधुमूल्य नही दिया जाता और दिया भी गया तो वह पहले विवाह के वधुमूल्य का आधा होता है। लेकिन विधुर पुरुष का विवाह अविवाहित लड़की के साथ लगा दिया जाता है। यह समस्या मेलघाट में स्थित आदिवासी महिलाओं का सामाजिक दर्जा निम्न दर्शाता है।

पति निधन के बाद तेरहवी तक उस महिला के अंग पर एक भी आभूषण नही रहता है ओर तेरहवो के पश्चात वह विधवा स्त्री मंगलसूत्र, सिंदूर, यह सुहाग का जोडा नही पहन सकती। परन्तु पत्नी गुजर जाने के बाद वह पुरुष विधुर है, ऐसी कोई पहचान नही। पति निधन के पश्चात उस महिला का संपूर्ण जीवन बिखर जाता है। यह समाज इतर समाज की तरह आदिवासी समाज में भी माना जाने लगा है। यानि कि, पुरुष प्रधान समाज में पति जब तक जोवित है तब तक उस महिला को सजने, सवरने, पूजापाठ में सहभागी होने की स्वतंत्रता है। परंतु पति निधन के बाद यह स्वतंत्रता उस महिला से छीन लिया जाता है। उस एक विधवा स्त्री समझकर उससे होनता का बर्ताव किया जाता है।

निरक्षरता

शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संशोधन हुए है। अनेक नई पद्धतियो का उपयोग कर ज्ञान के दरवाजे खुल गए है। मानव का विकास करन हेतु शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शिक्षा के माध्यम से मानव का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक विकास किया जाता है। पर संशोधन के चलते मेलघाट आदिवासिओं का निरक्षरता का प्रमाण १८.२३ अधिक होने से विश्व मे सतत होने वाले बदलाव की जानकारी नही है। आदिवासी शिक्षण व्यवस्था के विश्व में लिखते है कि, आदिवासी क्षेत्र मे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अनेक स्कूल और महाविद्यालय स्थापित किए गए है। शिक्षा विषयक के लिए कमोशन पर कमोशन बिठाए जाते है। फिर भी आदिवासी शिक्षा का प्रश्न गंभीर है।[२०]

मेलघाट के आदिवासी अपने विचारो कोबोली भाषा के जरोए प्रकट करते है। लेकिन यहा के स्कूलो के मराठी अभ्यास क्रम होने से आदिवासी छात्रो को ज्ञात बोली भाषा ओर स्कूलो में मराठी भाषा पढाई जाने से यह अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया में तालमेंल नही जुडता। इसी लिए छात्रो को शिक्षा में रूची उत्पन्न नहो होती। उसमें भी छात्रो को पढाने हेतु अधिकतम स्थानोय आदिवासी शिक्षको का विशेषतः महिलाओं का चयन कम है।

मेलघाट के संशोधन के दरम्यान आदिवासिओं में ६५.३४ निरक्षर (अज्ञान) और अधूरी प्राथमिक शिक्षा पाई गयी है। इस अज्ञानता के चलते आदिवासिओं का शोषण होता है। दिनकर उंबरकर (२००४) कहते है की, 'मेलघाट के आदिवासी के दुर्बल आर्थिक परिस्थिति का परिणाम उनके शिक्षा पर गिरता है अर्थात उत्पन्न के बगैर शिक्षा लेना संभव नही ओर शिक्षा के बिना अर्थाजन नही। ऐसा परस्परपुरक चक्र है।'[२१] बी. एम. आकरे के अनुसार आदिवासी शिक्षा का अभाव दिखाई देता है।[२२] उस में भी आदिवासी महिलाओं की संख्या अधिक है। जंगल में से जमा किये उत्पादन हो अथवा खेती का अनाज व्यापारियों को बेचते समय शिक्षा के अभाव के कारण हिसाब किताब करते नही आता। परिणाम स्वरुप व्यापारी लोग ज्यादा से ज्यादा आदिवासी महिला और पुरुषो का आर्थिक शोषण किया जाता है। उनको अच्छी शिक्षा देकर, अज्ञान दूर करके उन्हे आधुनिक मनुष्य बनाने की नितांत आवश्यकता है। देश का इतना बडा समाज आज भी अज्ञानी, अंधविश्वास, जादू–टोना के युग में जी रहे होंगे, तो क्या हम भार को एक महासत्ता बनते देखेंगे?

आदिवासी महिलाओं की आर्थिक समस्या दारिद्र, रोजगार और शोषण

२००१ के जनगणनानुसार भारत में कुल लोग संख्या के ४० करोड लोग मजदरी करते है। असल में भी

६८.६७ पुरुष और ३१.६३ महिला कार्यरत है। साधारण ७५. ३८ स्त्रिया खेती में काम करते है। (रुपम सिंह, रंजनासेन गुप्ता, डिसेंबर २००६) भारत में ४४.७० प्रति"ात आदिवासी यह खेती में काम करते है। २.१ आदिवासी ये घरगुती उद्योग में व्यस्त है तो १६.३ आदिवासी ये अपनी उपजोविका के चलते इतर उद्योग करते है। उपरोक्त आकडों के चलते आदिवासी महिलाओं का खेती मे सहयोग अधिक दिखाई पडता है। बि. एम. कन्हाडे कहते है कि बहुतांश आदिवासी समाज खेती पर ही निभर रहते ह।[२३] खेती के अलग–अलग कामो में जैसे फसल बोना, निराई, फसल कटाई आदि काम आदिवासी महिलाओं द्वारा अधिक किया जाता है।

जंगल प्रतिबंधात्मक कायदो का परिणाम आदिवासी बांधवो के आर्थिक जीवन पर पडा है। पहले आदिवासी महिलाये जंगल में आसानो से प्राप्त होने वाली वन उत्पाद के जमा करके अपन परिवार का पेट पालती थी। परंतु वन कायदो के चलते इस पर पाबंदियाँ लगाई जाने से उनका वन उत्पादन का स्त्रोत बंद हुआ है। इसके कारण आदिवासियो ने खेती यह व्यवसाय का स्वोकार किया है। ऐसा दिखाई पडता है। मेलघाट आदिवासी क्षेत्र में आदिवासिओं की जमोन छोटे–छोटे टकडो में विभाजित है। ज्यादातर खेत कोरडवाहू होने के कारण यहा बारिश में ही अधिक फसल उगाई जाती है। यहा औद्योगिकरण का अभाव होने से रोजगार उपलब्ध नही होता। इस के चलते यहा का आर्थिक जीवन बहुत ही विकट है। इस का परिणाम आदिवासी महिलाओं के आरोग्य पर भी पडते हुए दिखाई देता है। संशोधन क्षेत्र मेलघाट में खेती यह आदिवासिओं का मुख्य व्यवसाय है।

क्रम सं.	खेती प्र./ फसल प्रकार	बागायती	मध्य जिरायती	कोरडवाहू	कोरडवाहू + मध्य जिरायती	खेती नही	कुल
१	खरीफ	–	–	१८३ ६६.८२% ६५.३१%	०६ ३.१७% २१.४२%	–	१८६ ३७.४२%
२	रब्बी	–	–	–	–	–	–
३	खरीफ व रब्बी	११ ६.१६% १००%	७८ ६५% १००%	०६ ७.५% ४.६८%	२२ १८.३३% ७८.५७%	–	१२० २३.७६%
४	खेती नही	–	–	–	–	१६६ १००% १००%	१६६ ३८.८१%
कुल		११ २.१७%	७८ १५.४४%	१६२ ३८.०१%	२८ ५.५४%	१६६ ३८.८१%	५०५ १००%

(उपरोक्त तक्ता में दर्शाई टक्केवारी सन २००६ ते २०१३ के अनुसंधान दरम्यान संग्रहित किए गए तथ्यपर आधारित है।)

उपरोक्त सारणी क्र. ०१ से ज्ञात होता है की, कुल उत्तरदातीयों में से ३७.४२ आदिवासी परिवार खरीफ फसल लेते है। संशोधन के चलते कुल ३८.०१ कोरडवाहू जमीन में ६५.३१ खरीफ फसल ली जाती है। तो ३८.८१ आदिवासियो के पास खेती ही नही है। इसी कारण परिवार के लोग मोल–मजूरी करके अपनी मुलभत आवश्यकतायें पूरी नही कर पाकर गरीबी ओर भूखापन का सामना करते है। मेलघाट में खेत जमीन खडकाल औंर डोंगर भाग पर होने से जमीन से मिलने वाला उत्पन्न बहुत ही कम है। जिस थोड बहुत आदिवासी परिवारो के पास बागायती–जिरायती जमीन है। वह खेत में सब्जियों को उगाकर चिखलदरा, धारणी भरनवाली बाजारो और घर–घर जाकर भो सब्जिया बेचकर अपना घर चलाने में मदद करते है। वह खेतीपूरक व्यवसाय जैसे बकरी पालन, कुकुट पालन आदि व्यवसाय करते है। परंतु आदिवासियो के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में प्राणी–पक्षी को बली चढाने की प्रथा होने से इस व्यवसाय का फायदा आदिवासी आर्थिक रूप से नही ले पाते।

उपरोक्त आकडो से ज्ञात होता है कि, मेलघाट आदिवासियों का व्यवासाय खेती होकर खेत में ही अधीकतम महिलायें मजदरी करते है। पर खेत का दर्जा निम्न होने से और औद्योगिकरण का अभाव होने से यहा रोजगार नही मिलता। इसीलिए ज्यादातर आदिवासी महिलायें अपने परिवार का पालन–पोषण करणे के लिए दूसरे शहरो में स्थानांतरित होकर खेत मजूरी, रस्तो का काम, घर बाधकाम, ईटभट्टी आदि जगह मोल मजदूरी कर रहे है। इसी स्थानांतरण के चलते आदिवासी महिलायें बाहरी लोगो के संपर्क में आकर उनका आर्थिक, शारोरिक और मानसिक शोषण होकर उनकी स्वास्थ विषयक समस्या का भी निर्माण हो रहा है। शिवपाल सिंह कहते है कि आदिवासियो का शहरी समाज से संपर्क आने से विविध सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है। पहले आदिवासी जमात में विवाह युवा अवस्था में होता था। परंतु हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पडने से बाल विवाह होने लगे.[२४] इन आदिवासी महिलाओं के अज्ञान और निर्धनता का फायदा लेकर कुछ व्यापारी, कर्मचारी, ठेकेदार स्त्रियो के साथ यौन संबंध प्रस्थापित करते है। इसी कारण आदिवासी महिलाओं में वेश्यावृत्ती, विवाहबाह्य, यौन संबंध आदि समस्याओं में बढोत्तरो हो रही है।

नदिन हसनैन और अखिलेश दीक्षित यह अपने ***सामान्य मानवशास्त्र*** इस किताब में कहते है की, बस्तर (अभी का छत्तीसगढ़) समान बहुसंख्य आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासियो ने प्रवेश कर कुछ गैर आदिवासीयों ने आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह कर इस में मिलने वाला आरक्षण का लाभ जनजातिकरण का कारण है। विवाह का प्रस्ताव देकर महाराष्ट के अनेक युवतिया,

किशोरवयीन गरीब आदिवासी लड़कियो का सोमावर्ती मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार जैसे इतर भाषी भागो में अमीर लोगो को पैसो के बल पर तो कभी भावविभोर होकर उन को फसाया जाता है।[२५] इस तरह मेलघाट की आदिवासी महिलाये सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं से पोड़ित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. चौहाण शांताराम (२००८) 'मेलघाट विकास कार्यक्रम समस्या आणि उपाय', एक्सल प्रकाशन, अमरावती. पृष्ठ क्र.२–३.
2. महाराष्ट्र शासन (२०११–२०१२) 'आदिवासी विकास विभाग' (माहिती पुस्तिका), महाराष्ट्र शासन. पृष्ठ क्र. ७.
3. http://www.mahatribal.gov.
4. Tribal Women in pdf. www.ivcs.org.uk/IJRS
5. लोकराज्य (१९८८), पृष्ठ क्र.५२.
6. Singh, A.K. (1993) : "Tribes and tribal life", Vol.3, Approaches to development in Tribal context. P New Delhi : Sarup & Sons. P.9.
7. कुलकर्णी शौनक (२००६) 'महाराष्ट्रातील आदिवासी' डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे. पृष्ठ क्र.६४,६५.
8. राठोड सुनील (२०१२) बंजारा जमात लोकजीवन आणि लोकगीत, मधुराज पब्लिकेशन्स प्रा.लि. २५१ क, शनिवार पेठ, पुणे. पृष्ठ क्र.५७,८४.
9. गारे गोविंद (२००५) 'आदिवासी साहित्य संमेलन अध्यक्षीय भाषणे' सुगावा प्रकाशन, सदाशिव पेठ, चित्रशाला इमारत, पुणे. पृष्ठ क्र.४८.
10. Fuchs Stephen (1960) : The Korku of Vidarbha Hills, Inter India Publication, New Delhi. P.No. 68-69.
11. देवगावकर शैलजा (१९८६) 'वैदभिय आदिवासी जीवन आणि सस्कृति', श्रीमंगेश प्रकाशन, नागपुर. पृष्ठ क्र. ६८.
12. बन्हाडे के. व्ही. (२००७) 'कोरकू बोली वर्णनात्मक आणि समाज भाषावैज्ञानिक अभ्यास' अप्रकाशित आचार्य पदवी प्रबंध, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. पृष्ठ क्र.२१७.
13. मडावी शेषराव एन. (२०११) 'गोंडवानाचा सांस्कृतिक इतिहास', सुधीर प्रकाशन, गणेश नगर, वर्धा. पृष्ठ क्र. १०४.
14. Thurston, Edgar (1907) : "Ethnographicnote s in Southern India", Cosmo Publication, New Delhi-23- OR लोटे रा.ज. (२००४) 'भारतातील सामाजिक संरचना व सामाजिक समस्या' मनोहर पिंपलापुरे, महाल, नागपुर. पृष्ठ क्र.१४.
15. Vidhyarthi & Rai (1977) : Tribal Culture In India, Concept publishing Company, New Delhi.
16. बर्धन ए.बी. (१९७६) 'आदिवासींची न सुटलेली समस्या', प्रकाशक, स.ना. भालेराव, ३१४, राजभवन, सरदार वल्लभाई पटेल रोड, गिरगाव, मुंबई. पृष्ठ क्र. ५८.
17. Hassan, K.A. (1967) : "The Cultural frontier of health in village India man ok talus", Bombay.
18. Nayak K.B.(2012): 'MELGHAT SYNDROME'A Report of a Major Research project Submitted to The UGC,New Delhi.pg.no.278
19. संगवे विलास (१९७२) 'आदिवासीचे सामाजिक जीवन' रामदास टकल, पॉप्युलर प्रकाशन, प्रा. लि. ३५ सी, ताडदेव रोड, मुंबई.
20. Gour Mahendra (2008) : 'The Forest Right of Tribals', Alfa Publications, 4998/5, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi. Pg. No.15-16
21. उंबरकर दिनकर (२००७) 'कोरकू आदिवासो सामाजिक विकास आणि शासकीय कल्याणकारी योजना 'अद्वेत प्रकाशन, गजानन पेठ, अकोला. पृष्ठ क्र.१३६.
22. आकरे बी. एन. (२००६) 'आदिवासी आणि सामुदायिक विकास योजना' प्रकाशक अमोल पिंपलापुरे, पिंपलापुरे डिस्टिब्युटर्स, २०६, राम मंदिर गल्ली, तिलक पुतला, महाल, नागपूर. पृष्ठ क्र.६–८.
23. क–हाडे बी. एम. (२०१०) 'आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र', आवृत्ती दुसरी, पिंपलापुरे अँड कं. पब्लिशर्स, नागपुर. पृष्ठ क्र.३६–३७.
24. सिंह शिवपाल (२०१२) 'जनजाती समस्याएँ एवं उनका समाधान', संपादकीय यादव बिरेंद्र सिंह व साहू रावेन्द्र कुमार, 'आदिवासी विमर्श स्वस्थ जनतांत्रिक मुल्यों की तलाश', पॅसिफिक पब्लिकेशन, एन–१८७, शिवाजी चौक, सादतपुर एक्सटेंशन, दिल्ली. पृष्ठ क्र. ४८०.
25. वृत्तपत्र दै. हिन्दुस्तान (२०१२) 'पुरोगामी महाराष्ट्रासमोर देहव्यापाराचे पुन्हा संकट' दि. १७/३/२०१२, जिल्हा अमरावती, महाराष्ट्र.